सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	
	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	**2075**	**1994**	**2436**	**6244**	**7953**	**10221**
(क) अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	1864	1687	2228	5388	7088	9055
(ख) निवेशों पर आय	99	123	69	337	570	680
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	112	184	139	519	295	486
(घ) अन्य	-	-	-	-	-	-
2. अन्य आय	110	76	154	240	324	427
3. कुल आय (1+2)	**2185**	**2070**	**2590**	**6484**	**8277**	**10648**
4. ब्याज व्यय	1311	1336	1596	4155	5055	6543
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	**148**	**137**	**120**	**397**	**439**	**560**
(i) कर्मचारी लागत	93	85	85	266	321	388
(ii) अन्य परिचालन व्यय	55	52	35	131	118	172
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	**1459**	**1473**	**1716**	**4552**	**5494**	**7103**
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	**726**	**597**	**874**	**1932**	**2783**	**3545**
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनारांकन पश्चात निवल]	115	97	34	190	452	915
9. असाधारण मदें	0	(97)	0	(97)	518	518
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/हानि (-) (7-8+9)	**611**	**403**	**840**	**1645**	**2849**	**3148**
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/ देयता समायोजन पश्चात निवल]	175	(52)	210	264	684	750
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि(-) (10-11)	**436**	**455**	**630**	**1381**	**2165**	**2398**
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+)/ हानि (-) (12-13)	**436**	**455**	**630**	**1381**	**2165**	**2398**
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	532	532	532	532	532	532
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	21843	21407	20340	21843	20340	20462
17. विश्लेषणात्मक अनुपात						
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	15.40%	15.40%	15.40%	15.40%	15.40%	15.40%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	28.85%	30.94%	29.04%	28.85%	29.04%	27.49%
(iii) प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)	8.20	8.56	11.84	25.96	40.70	45.09
(iv) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात						
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	286.28	281.29	669.45	286.28	669.45	282.31
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	186.22	192.63	114.49	186.22	114.49	185.25
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.17	0.20	0.47	0.17	0.47	0.18
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.11	0.13	0.08	0.11	0.08	0.12
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात) (वार्षिकीकृत)	1.03%	1.07%	1.69%	1.03%	1.69%	1.33%
(vi) निवल मालियत	22,104	21,695	20,694	22,104	20,694	20,667
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-
(viii) पूंजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-	-
(x) ऋण-इक्विटी अनुपात*	1.37	1.39	1.53	1.37	1.53	1.89
(xi) कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण*	14.96	17.66	18.88	14.96	18.88	20.33

*ऋण, कुल उधारों (जमाराशियों को छोड़कर) को दर्शाता है

टिप्पणियाँ :

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
2) निदेशक मंडल द्वारा 02 फ़रवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
3) वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़े, छमाही के अंत के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और सम्बंधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रकाशित वर्ष से आज तक के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
4) 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ महीनों के वित्तीय परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित हैं, अनुमानित/ समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।
5) असाधारण मद, वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में भुगतान किए गए कुल ₹97 करोड़ के ब्याज के साथ सेवा कर और जीएसटी के एकमुश्त भुगतान को दर्शाती है, जो कि पिछले वर्षों से संबंधित भारत सरकार को भुगतान किये गये गारंटी शुल्क के संबंध में है।
6) कोविड-19 महामारी, बैंक के संचालन और परिसंपत्ति की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।
7) कोविड-19 के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में संविभाग के कुछ खंडों पर, जिन्हें बैंक के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त माना गया था, ₹159 करोड़ के अतिरिक्त मानक आस्ति प्रावधान किए हैं।
8) समाधान ढांचा-2.0 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 05 मई, 2021 के परिपत्र DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 के अनुसार उन उधारकर्ताओं के खातों की संख्या जिनमें समाधान योजना क्रियान्वित की गई है: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों में कोविड-19 से संबन्धित दबाव के समाधान की संख्या शून्य है। इसके अलावा, उन खातों के संबंध में कोई शोधन स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया था जो समाधान ढांचा 1.0 के तहत कार्यान्वित किए गए थे।
9) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर 24 सितंबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के तहत 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
   31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के दौरान:
   i) बैंक ने समनुदेशन के माध्यम से चूक रहित किसी ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।
   ii) बैंक ने किसी भी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को/ अनुमत अंतरितियों/ अन्य अंतरितियों को हस्तांतरित नहीं किया है।
   iii) बैंक ने न तो कोई दबावग्रस्त ऋण अधिग्रहित किया है और न ही किसी चूकरहित ऋण / विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) को अंतरित किया है।
   iv) बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ₹604 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग किया है।
11) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
12) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति : 1 अक्तूबर, 2021 तक 1 शिकायत निपटान के लिए लंबित थी। तिमाही के दौरान निवेशकों से 5 शिकायतें प्राप्त हुई और 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया। तद्नुसार, 31 दिसंबर, 2021 तक 1 शिकायत निपटान के लिए लंबित है।
13) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
14) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
15) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/–

[सिवसुब्रमणियन रमण]
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक : 02 फ़रवरी, 2022
स्थान : मुंबई

- SIDBIOfficial | कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें। | @sidbiofficial